(61) (158)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

R. 2385-III/14

प्रमोद सिंह तनय वंशगोपाल सिंह निवासी ग्राम नैकिन तह० हुजूर सर्किल गोविन्दगढ़ जिला रीवा म०प्र० ---- आवेदक/निगराकार

बनाम

चूड़ामणि पटेल तनय स्व० श्री जोखूलाल पटेल निवासी ग्राम खजूहा थाना गुढ़ तहसील गुढ़ जिला रीवा म०प्र० --- अनावेदक/गैर निगराकार

श्री प्रमोद सिंह आवेदक द्वारा दिनांक 01.07.14 को
क्रमांक 2383
~~रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा~~ आज दिनांक 25-7-14 को प्राप्त
25-7-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 13/8/2013 प्रकरण क्रमांक 13अ-12/2012-13 न्यायालय नायब तहसीलदार सर्किल (वृत्त) गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़ का प्रकरण क्रमांक 13अ-12/2012-13 आदेश दिनांक 13.8.2013 विधि विधान की मंशा के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि अनावेदक/गैरनिगराकार आराजी खसरा क्र० 628/2 रकबा 0.795 है० पटवारी हल्का नं०नैकिन 52 तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र० का सीमांकन का आवेदन दिया था जिसमें गैरनिगराकार ने चौहद्दी

-2

प्रमोद सिंह

(51)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2385—III/2014 जिला—रीवा

प्रमोद सिंह/चूड़ामणि पटेल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अभिताब चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 13/अ—12/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	